राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/नियमितिकरण/2022/248 दिनांक : 1/6/22

परिपत्र

मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवासों के नियमितिकरण/नियमन की कार्यवाही की प्रक्रिया में वृत्त कार्यालयों द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया था जिसके संदर्भ में नियमितिकरण/नियमन की प्रक्रिया में आने वाली मुख्य समस्याओं के निदान हेतु परिपत्र क्रमांक मुसप्र/नियमितिकरण/2013/161 दिनांक 03.05.2013 को जारी कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निदशित किया गया था।

उक्त परिपत्र क्रमांक मुसप्र/नियमितिकरण/2013/161 दिनांक 03.05.2013 के बिन्दु संख्या 5 पर पुनर्विचार करते हुए परिपत्र के बिन्दु संख्या 5 को विलोपित किया जाता है व मण्डल के पूर्व कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2002/115 दिनांक 27.04.2002 में उल्लेखित प्रावधानों की निरन्तरता में पुनर्विचार कर निर्देशित किया जाता है कि आवासन मण्डल द्वारा आवंटित सम्पत्तियों का संबंधित आवंटियों द्वारा कब्जे से पूर्व अन्य किसी को बेचान कर दिया गया हो तो ऐसे मामलों में नियमितिकरण निम्न शर्तों के अंतर्गत किया जावें :–

(अ) आवासन मण्डल द्वारा आवंटित सम्पत्ति पर आवंटी काबिज रहें हो उनके पास सम्पति पर काबिज होने का कानूनी दस्तावेज उपलब्ध हों।

(ब) जो आवंटित सम्पत्ति पर काबिज नहीं हो तो उनके पास आवंटित सम्पत्ति के काबिज होने का प्रमाण स्वरूप कानूनी दस्तावेज उपलब्ध हों।

(स) प्रमाणस्वरूप दस्तावेजों में पॉवर ऑफ अर्टोनी, वसीयतनामा, बेचाननामा, इकरारनामा आदि हो सकते है तथा ये दस्तावेज कम से कम नोटरी पब्लिक से तत्समय प्रमाणित किये हो। इन प्रकरणों के दस्तावेज कब्जे से पूर्व अथवा कब्जा लेने के बाद सम्पादित किये गये हो वे मान्य होंगे।

(द) प्रार्थी इस आशय का भी शपथ पत्र पेश करेगा कि भविष्य में किसी प्रकार का न्यायिक विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी।

यह आदेश वर्तमान में चालू प्रशासन शहरों के संग अभियान के संदर्भ में ही लागू रहेंगे।

(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–माननीय अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार, रा0आ0मं0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता(मु.)/प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, रा0आ0मं0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0आ0मं0, जयपुर/जोधपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/निदेशक(विधि), रा0आ0मं0, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, रा0आ0मं0, जयपुर।
7. जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0मं0, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), रा0आ0मं0, जयपुर।
9. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, वृत्त ––––––––––––––––––––(समस्त).
10. आवासीय अभियन्ता, रा0आ0मं0, खण्ड –––––––––––––––(समस्त खण्ड).
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

3|pc.3/data.2022/order